मध्यप्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972

(क्रमांक 27 सन् 1972)

तथा

उसके अधीन निर्मित नियम

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972

(क्रमांक 27 सन् 1972)

तथा

उसके अधीन निर्मित नियम

(22 सन् 2010 तक यथा संशोधित)

विषय-सूची

1.	मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972)	1-8
2.	मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1973	9-10
3.	मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वहनों का क्रय तथा अनुरक्षण) नियम, 1975	11-12
4.	मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (निवास स्थान) नियम, 1965	13-23
5.	मध्यप्रदेश मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1972	24-30
6.	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) समय-समय पर आए संशोधनों का 'सार'	31-35
7.	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धाराओं में आए संशोधन	

ENGLISH – VERSION

8	THE MADHYA PRADESH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSH (VETAN TATHA BHATTA) "ADINIYAM" 1972 (NO 27 OF 1972)
9.	MADHYA PRADESH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSH (VETAN TATHA DAINIK BHATTA) "NIYAM 1973
10.	M. P. ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSH (YAHNOKA KRAYA TATHA ANURAKSHANA) "NIYAM" 1975
11.	M. P. SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER "PESIDENCES RULES" 1965
12.	M. P. MINISTERS (TRAVILING AND DAILY ALLOWUNCES) " RULES" 1972

मध्यप्रदेश अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 1972)

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम.

2. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन

3. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सत्कार भत्ता

4. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये निवास-स्थान

5. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये वाहन

6. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि

7. किसी वृत्ति के करने, सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त करने आदि का प्रतिषेध

8. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ता

8-क. भत्ते तथा परिलब्धियों में से आय-कर नहीं लिया जायेगा

9. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति आदि से संबंधित अधिसूचना उनकी नियुक्ति आदि का निश्चायक साक्ष्य होगी.

10. नियम बनाने की शक्ति

11. निरसन

मध्यप्रदेश अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 1972)

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972

दिनांक 2 सितम्बर, 1972 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 2 सितम्बर, 1972 को प्रथम बार प्रकाशित की गई..

मध्यप्रदेश विधान सभा तथा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 कहा जा सकेगा.		**संक्षिप्त नाम**

2. अध्यक्ष को सत्ताईस हजार रुपये और उपाध्यक्ष को पच्चीस हजार रूपये प्रतिमास वेतन दिया जाएगा.*		**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन**

3. (1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 18 हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा * *		**अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को सत्कार भत्ता**

(2) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता सत्रह हजार रुपये प्रतिमास दिया जाएगा.**

(3) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान आठ सौ रुपये* प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा.		**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को दैनिक भत्ता**
4. (1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को भोपाल में, अपनी पद की पूरी अवधि भर और उसके अव्यवहित पश्चात् एक मास की कालावधि तक, किराये का भुगतान किए बिना, सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग करने के हकदार होंगे और ऐसे निवास स्थान के अनुरंक्षण की बाबत् अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को वैयक्तिक रूप से कोई प्रभार नहीं देना पड़ेगा.		**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिए निवास स्थान**

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "निवास स्थान" में उससे अनुलग्न कर्मचारी-क्वार्टर तथा अन्य भवन एवं उसका उद्यान सम्मिलित हैं और किसी निवास स्थान से संबंधित "अनुरंक्षण" में स्थानीय रेटों तथा करों का भुगतान और विद्युत एवं जल की व्यवस्था सम्मिलित हैं.

(2) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपधारा (1) का फ़ायदा न उठाए तो वह उसके बदले में उतना गृह किराया भत्ता प्राप्त करने का हक़दार होगा जोकि धारा (2) के अधीन उसे देय वेतन के बीस प्रतिशत के बराबर हो.

(3) उपधारा (1) के अधीन भोपाल में निःशुल्क सुसज्जित निवास स्थान के अतिरिक्त, अध्यक्ष तथा

उपाध्यक्ष किसी ऐसे अन्य स्थान पर जिसे राज्य सरकार, समय समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के शासकीय निवास का स्थान घोषित करें, सुसजज्जित निवास स्थान का , किराये का भुगतान किए बिना, उस समय तक के लिए जब तक कि ऐसी घोषणा प्रवृत्त रहे, उपयोग करने का भी हक़दार होगा.

(4) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उपधारा (1) के अधीन दिए गए निवास स्थान को सुसज्जित करने के बारे में किया जाने वाला व्यय अध्यक्ष को दिये गए निवास स्थान की दशा में पैतीस हज़ार रु. की आर्थिक सीमा के अध्यधीन होगा और उपाध्यक्ष को दिये गए निवास स्थान की दशा में पच्चीस हज़ार की आर्थिक सीमा के अध्यधीन होगा.

(5) निवास स्थान एवं उद्यान के, जिनके लिए उपधारा 1 के अधीन उपबंध किया गया है, समारंक्षण, वार्षिक मरम्मतों तथा अनुरंक्षण के बारे में किया जाने वाला वार्षिक व्यय ऐसी आर्थिक सीमाओं के अध्यधीन होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियम द्वारा अधिकथित की जाये.

5. (1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उसके उपयोग के लिये एक एक उपयुक्त मोटरयान दिया जायेगा जिसका क्रय तथा अनुरंक्षण उन नियमों के अनुसार जो कि राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में बनाये जाये, सरकारी व्यय से किया जायेगा.

***1. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2001 द्वारा स्थापित.**

****2. अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2008 द्वारा स्थापित.**

5.(2) राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मोटरयान के लिये सरकारी व्यय से * दो मोटरचालक (शोफर) की भी व्यवस्था करेगी और प्रत्येक मोटरयान के लिये, ऐसे प्रत्येक मोटरयान द्वारा की गई यात्राओं (जो उन यात्राओं से भिन्न हो जिनके लिये की यात्रा भत्ता अनुज्ञेय है) के लिये उपयुक्त मोटर ईधन का भी प्रदाय करेगी जो अध्यक्ष को दिये गये मोटरयान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक तीन सौ पचास लीटर, तथा उपाध्यक्ष को दिये गये मोटरयान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक तीन सौ लीटर होगा.

6.* (1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कुटुम्ब के सदस्य चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तो पर निशुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुम्बों के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का संख्या 61) के अधीन समय समय पर बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती है.		**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि**

. (2) यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जब कि वह भारत से बाहर ऐसे दौरे पर हो जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो, ऐसी चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार का भी निशुल्क हकदार होगा जो उस स्थान पर भारत मिशन (इंडिया मिशन) के प्रधान को अनुज्ञेय हो.

7.अध्यक्ष या उपाध्यक्ष --

(क) अपने पद की, जिसके लिये की वह वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता है अवधि के दौरान कोई वृत्ति नही करेगा या किसी व्यापार में नहीं लगेगा या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई नियोजन पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये ग्रहण नहीं करेगा; और		**किसी वृत्ति के करने सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त करने आदि का प्रतिषेध**

(ख) मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में कोई वेतन या भत्ता प्राप्त करने का उस दशा में हकदार नहीं होगा जबकि वह अपने पद के लिये वेतन तथा भत्ता प्राप्त करता हो.

8. (1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार :-

(क) (एक) पद ग्रहण करने के लिये, भोपाल के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से भोपाल तक की गई यात्रा के संबंध में, और		**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ता**

(दो) पद मुक्त होने पर भोपाल से, भोपाल के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक की गई यात्रा के संबंध में अपने स्वंय के लिए तथा अपने कुटुंब के ऐसे सदस्यों के लिये जो उस पर आश्रित हो, और अपनी तथा अपने कुटुंब की चीज वस्तु के परिवहन के लिये यात्रा भत्ता प्राप्त करने का, और

(ख) उन दौरों के संबंध में जो कि उसने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में

* या लोक कार्य से थल, जल या वायु मार्ग द्वारा किये हो, यात्रा तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा.

(2) इस अधिनियम में अंतर विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उपाध्यक्ष का सामान्य निवास स्थान भोपाल से भिन्न हो तो वह उस कालावधि के दौरान जबकि विधान सभा का सत्र न चल रहा हो

उन दौरो के संबंध में, जो कि उसने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने सामान्य निवास स्थान से, जो कि ऐसे दौरों के संबंध में उसका मुख्यालय समझा जायेगा, किये हो, यात्रा तथा दैनिक भत्ते उस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार प्राप्त करने का भी हकदार होगा *

(3) इस धारा के अधीन किसी भी यात्रा भत्ते का नगद भुगतान किया जा सकेगा या उसके बदले में निशुल्क शासकीय परिवहन की व्यवस्था की जा सकेगी *

(4) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किए गए दौरो के लिये देय यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के अतिरिक्त इस बात का हकदार होगा कि जब वह ऐसे दौरो के दौरान विश्राम भवनों (सर्किट हाऊसेज) तथा विश्राम गृहों (रेस्ट हाऊसेज) में, जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित हो, ठहरे तो उसे उन विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में वास सुविधा तथा विद्युत की व्यवस्था उस ठहरने की कालावधि के लिये निशुल्क उपलब्ध रहे.

---

*1. अधिनियम 13 सन् 1989 द्वारा स्थापित.

2 मध्य प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा 8 (क) के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये और उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि वह 1 अप्रैल 1994 से स्थापित की गई है अर्थात :-

"8 (क) इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को देय समस्त भत्तों की बाबत और किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बाबत् एवं उन अन्य परिलब्धियों की बाबत् जो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय है, यथा स्थिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से आयकर नही लिया जायेगा और वह आयकर यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा देय अधिकतम दर पर राज्य सरकार द्वारा देय होगा * अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देय उक्त भत्तों तथा परिलब्धियों से प्रोद्भूत आय की कुल रकम में से समय समय पर अनुज्ञेय आयकर से छूट की सीमा की रकम और मानक कटौतियों की रकम, जो भी हो, घटाई नही जायेगी."		**भत्ते तथा परिलब्धियों में से आय कर नहीं लिया जायेगा**

(9) वह तारीख, जिसको की कोई व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो जाये अथवा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रह जाये, राजपत्र में अधिसूचित की जायेगी ओर कोई भी ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हुआ था अथवा इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह गया था.		**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति आदि से संबंधित अधिसूचना उनकी नियुक्ति आदि की निश्चायक साक्ष्य होंगी**

(10) (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।		**नियम बनाने की शक्ति**

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

(11) मध्यप्रदेश स्पीकर एण्ड डिप्टी स्पीकर (सेलरीज एण्ड एलाउन्सेज) एक्ट 1956 (क्रमांक-3 सन् 1957) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है.		निरसन

---

* अधिनियम क्रमांक 38 सन् 1997 द्वारा अन्त: स्थापित.

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31 मार्च 1973 में प्रकाशित

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम 1973

(अधिनियम की धारा 8 देखिये)

1. (1) यह नियम मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम 1973 कहलायेंगे.

*(2) नियम 4 को छोड़कर ये नियम 12 जनवरी 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और नियम 4, 2 सितम्बर 1972 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, --

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972);

(ख) (एक) अध्यक्ष के संबंध में, "शासकीय निवास स्थान" से अभिप्रेत है यथा स्थिति, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अध्यक्ष का निवास स्थान; और

(दो) उपाध्यक्ष के संबंध में "शासकीय निवास स्थान" से अभिप्रेत है यथा स्थिति अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) या धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट उपाध्यक्ष का निवास स्थान.

3. नियम 4 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1972 विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार की वे किसी मंत्री के मामले में लागू होते है.

** [4 अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये "लोक कार्य से किये गये दौरे" में निम्नलिखित यात्राओं में से कोई भी यात्रा सम्मिलित है :-

(क) कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन आफ लन्दन द्वारा विश्व के किसी भी भाग में आयोजित किसी सम्मेलन या विचार गोष्ठी (सेमीनार) में उपस्थित होने हेतु की गई यात्रा;

(ख) विधान मण्डलों के पीठासीन अधिकारियों के उस सम्मेलन या उनकी समिति में, जो कि भारत के किसी भी भाग में हुआ हो/हुई हो, उपस्थित होने हेतु की गई यात्रा;

(ग) भारत में या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भारत में कहीं भी आयोजित किये गये किसी सार्वजनिक या अन्य समारोह में सम्मिलित होने हेतु की गई यात्रा;

(घ) भारत में किसी अन्य विधान मण्डल के परिदर्शन के संबंध में की गई यात्रा;

(द) राज्य के भीतर की गई निम्नलिखित यात्राएँ :-

(एक) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आयोजित किये गये किसी सार्वजनिक या अन्य समारोह में सम्मिलित होने हेतु की गई यात्रा;

(दो) राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिये गये विकास क्रिया कलापों के स्थलों या स्थानों का परिदर्शन करने हेतु की गई यात्रा].

* 5. तत्कालीन विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1053-84-1 (एक), दिनांक 29 जनवरी 1957 के अधीन प्रकाशित अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के यात्रा तथा दैनिक भत्ते के भुगतान संबंधी नियम निरस्त हो जायेंगे.

---

* अधिसूचना क्रमांक एफ-4-158 (1)-73 इक्कीस-अ(सं.का.), दिनांक 23 अप्रैल 1973 द्वारा संशोधित.

** विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5968-एफ-4-79-सं.का.-इक्कीस-अ, दिनांक 27 फरवरी 1979 द्वारा प्रतिस्थापित. "मध्यप्रदेश राज्यपत्र" (असाधारण), दिनांक 28 फरवरी 1979 में प्रकाशित.

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 24 जनवरी 1975 में प्रकाशित

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वाहनों का क्रय तथा अनुरंक्षण) नियम 1975

(अधिनियम की धारा 5 देखिये)

1. ये नियम मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वाहनों का क्रय तथा अनुरंक्षण) नियम 1975 कहलायेंगे.

2. इन नियमों में 'अधिनियम' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972).

3. राज्य सरकार, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके उपयोग के लिये एक मोटर गाड़ी की व्यवस्था करेगी गाड़ी 30,000.00 रूपये से अनअधिक मूल्य की होगी गाड़ी की बनावट तथा मॉडल ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले में उपयुक्त समझे.

4. गाड़ी, उसके उपसाधनों (एसेसरीज) सहित राज्य सरकार की सम्पत्ति रहेगी. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद त्याग दे उसकी गाड़ी उपसाधनों सहित मध्यप्रदेश विधान सभा के सचिव को वापस कर दी जायेंगी.

5. कोई भी गाड़ी तब तक नहीं बदली जायेगी जब तक कि उसने पांच वर्ष तक की सर्विस पूरी न की हो या बीस हार्स पावर के ऊपर की गाड़ी के मामले में एक लाख बीस हजार किलो मी. की कुल दूरी तथा बीस हार्स पावर से नीचे की गाड़ी के मामले में अस्सी हजार किलो मी. की कुल दूरी तय न कर ली हो.

परन्तु यह कि ऐसी मोटर गाड़ी जो पांच वर्ष की सर्विस पूरी कर लेने के पूर्व या ऊपर विनिर्दिष्ट की गई कुल दूरी तय कर लेने के पूर्व किसी भी कारण से अनुपयुक्त हो जाये, शासकीय गाड़ियों के लिये शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् बदली जा सकेगी.

6. (1) गाड़ी के अनुरंक्षण तथा रख रखाव के व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे.

टिप्पणी :- गाड़ी के अनुरंक्षण तथा रख रखाव में सम्मिलित है मोटर चालक (शोफर) का वेतन, रजिस्ट्रिकरण, बीमा फीस को सम्मिलित करते हुए, समस्त कर मरम्मत के समस्त व्यय जिसके अर्तगत नियत कालिक सर्विसिंग आदि आते है तथा टायर और ट्यूबों को सम्मिलित करते हुए घिसे भागों (पार्टस) का बदला जाना.

(2) प्रत्येक मास के प्रारंभ में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा के सचिव को यह

कथित करते हुए यह एक प्रमाण पत्र अग्रेषित करेगा कि अधिनियम की धारा पांच के अधीन अनुज्ञात यात्राओं के उपयोग हेतु ठीक पूर्ववर्ती मास के दौरान उसके द्वारा मोटर ईंधन की कुल कितनी मात्रा क्रय की गई.

7. मध्यप्रदेश स्पीकर एण्ड डिप्टी स्पीकर (पर्चेज एण्ड मेन्टेनेन्स आफ कन्वेन्सेस) रुल्स 1957 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही जब तक कि की गई ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के किन्ही भी उपबंधों से असंगत न हो, इन नियमों के तत् स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी.

[Published in Part IV of the "Madhya Pradesh Rajpatra" dated the 12th February 1965]

मध्यप्रदेश शासन

विधि विभाग

भोपाल दिनांक 3 फरवरी 1965

क्रमांक-4289-इक्कीस-अ-(प्रा.) :- मध्यप्रदेश स्पीकर एण्ड डिप्टीस्पीकर (सेलरीज एण्ड एलाउन्सेज एक्ट 1956 मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष(वेतन एवं भत्ता) अधिनियम 1956 (क्रमांक-3 सन् 1957) की धारा तीन के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-** ये नियम मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (निवास स्थान) नियम 1965 कहलायेंगे.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषायें** :- इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम 1956 से है;

(ख) "कार्यपालिक यंत्री" से तात्पर्य उस खंड के प्रभारी कार्यपालक यंत्री से है जिसमें कि निवास स्थान स्थित हो;

(ग) "निवास-स्थान" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन अध्यक्ष को दिये गये निवास स्थान से है;

(घ) "अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न की गई अनुसूची से है;

(ङ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष से है तथा उसमें उपाध्यक्ष सम्मिलित है.

3. **फर्नीचर का मान .--**(1) प्रारंभ में प्रत्येक निवास स्थान अनुसूची 1 में दिये गये मान के अनुसार फर्नीचर तथा अन्य वस्तुओं से उपस्कृत किया जायेगा और इस मध्ये कुल व्यय अध्यक्ष को दिये

गये निवास स्थान की दशा में बीस हजार रू. से तथा उपाध्यक्ष को दिये निवास स्थान की दशा में सोलह हजार रू. से अधिक नहीं होगा.

टिप्पणी :- निवास स्थान को उपस्कृत करने के लिये ऊपर उल्लिखित की गई अधिकतम आर्थिक सीमा केवल उन्ही मामलों को लागू होगी जहां उपस्करण भविष्य में आवश्यक हो. कोई विद्यमान निवास स्थान, जो कि पहले से ही उपस्कृत हो, तब तक वैसा ही उपस्कृत बना रहेगा जब तक कि गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग की सलाह पर यह विनिश्चित कर ले कि उसका पुनःउपस्कृत किया जाना आवश्यक है जब फर्नीचर की कोई वस्तु या कोई अन्य वस्तु सामान्य टूट-फूट के कारण जर्जर हो गई हो या खराब हो गई हो तो उसकी जगह उसी प्रकार की वस्तु दी जा सकेगी.

(2) जब कभी किसी विशेष निवास स्थान की आवश्यकता पूरी करने के लिये और/या अध्यक्ष की इच्छा पूर्ति करने के लिये अनुसूची 1 में दिये गये मान में अदला बदली आवश्यक हो तो, ऐसी अदला बदली की अनुज्ञा शासन के गृह विभाग द्वारा दी जायेगी. परन्तु यह तब जब कि व्यय उपनियम (1) में उल्लेखित की गई अधिकतम आर्थिक सीमा से किसी भी दशा में अधिक न आता हो.

(3) अल्प काल के लिये आपाती आवश्यकता की पूर्ति के लिये किसी निवास स्थान के लिये प्रदाय किये गये फर्नीचर की प्रत्येक ऐसी वस्तु के लिये, जो कि अनुसूची 1 में उल्लेखित किये गये मान से अधिक हो, उपयोग की कालावधि के लिये भाड़ा उस वस्तु के मूल्य 1 प्रतिशत प्रतिमास के हिसाब से लगाया जायेगा.

4. फर्नीचर का नवीकरण तथा प्रतिस्थापन :- (1) नियम 3 के अधीन अध्यक्ष के निवास स्थान के लिये प्रदाय की गई किसी वस्तु का नवीकरण या प्रतिस्थापना तभी किया जा सकेगा जबकि शासन के लोक निर्माण विभाग का यह समाधान हो जाये कि फर्नीचर का कोई खास हिस्सा या कोई अन्य वस्तु नुकसान या सामान्य टूट-फूट के कारण अनुपयोगी हो गई है.

(2) यदि नियम 3 के अधीन अध्यक्ष के निवास स्थान के लिये प्रदाय किये गये फर्नीचर का कोई हिस्सा या कोई अन्य वस्तु (क) सामान्य टूट-फूट के कारण न होकर अन्यथा या (ख) परिहार्य परिस्थितियों के कारण खराब हो जाये या खो जाये, तो शासन को हुई हानि की, जैसी की निर्धारित की जाये, पूर्ति स्वंय अध्यक्ष द्वारा की जायेगी. यह विनिश्चित करने का प्राधिकारी की क्या कोई विशिष्ट वस्तु (क) सामान्य टूट-फूट के कारण न होकर अन्यथा या (ख) परिहार्य परिस्थितियों के कारण खराब हुई है या नही, ऐसे मामलों में लोक निर्माण विभाग होगा.

5. **फर्नीचर आदि की प्रत्यक्ष जांच :-** (1) निवास स्थान के लिये प्रदाय की गई वस्तुओं की कार्यपालक यंत्री द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष जांच की जायेगी.

(2) जब अध्यक्ष, उसे दिये गये निवास स्थान को खाली करे, तो कार्य पालक यंत्री नियम 3 तथा 4 के अधीन निवास स्थान के लिये प्रदाय की गई वस्तुओं की प्रत्यक्ष जांच करेगा.

6. **संधारण :-**(1) ऐसी प्रकार की वृद्धिया अल्प परिवर्तन या परिवर्तन जो कि सामान्य मरम्मत की सीमा के भीतर न आतें हो, करने की अनुज्ञा गृह विभाग तथा वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दी जायेगी.

(2) लोक निर्माण विभाग निवास स्थान की आवश्यक मरम्मत करवायेगा, जिस पर वार्षिक व्यय उन सीमाओं से अधिक नहीं होगा जो कि प्रथम श्रेणी के शासकीय भवनों के लिये इस प्रयोजन के हेतु विहित हो.

(3) लोक निर्माण विभाग फर्नीचर की आवश्यक मरम्मत भी करवायेगा उस पर पालिश व वार्निश भी करवायेगा और कारपेटों तथा पर्दो को भी धुलवायेगा परन्तु इस मध्दे वार्षिक व्यय अनुसूची 2 में उल्लिखित की गई आर्थिक सीमा से अधिक नहीं होगा.

** "(3-क) पानी शुल्क को सम्मिलित करते हुए किन्तु उपनियम (6) के अधीन उपबंधित माली के वेतन को छोड़कर बगीचे के रखरखाव पर औसत मासिक व्यय 300 रू. से अधिक नहीं होगा'

(4) (क) ऐसे निवास स्थान में,--(एक) अध्यक्ष के घरेलू उपयोग के लिये;

(दो) बगीचे, कार्यालय तथा सुरक्षा उपायों के लिये, और

(तीन) किसी शासकीय सेवक द्वारा अधिवासित स्टाफ क्वार्टरों में से प्रत्येक में किये गये विद्युत एवं जल के मासिक उपभोग को अभिनिश्चित करने के लिये पृथक पृथक मीटर प्रतिष्ठापित किये जायेंगे. (ख) खण्ड (क) के पद (एक) के संबंध में मासिक देयकों (बिल्स) का शासन द्वारा प्रथमतः पूर्ण भुगतान किया जायेगा. दो सौ रूपये. से अधिक कोई भी रकम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से वसूल की जायेगी ओर शासकीय लेखे में जमा की जायेगी.

टिप्पणी :-- यह उपबंध अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निवास स्थानों में पृथक-पृथक मीटर लगाये जाने के दिनांक से लागू होगा.

विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 11662-इक्कीस (प्रा.) दिनांक 16 अप्रैल 1969 द्वारा अन्तः स्थापित.

(ग) खण्ड (क) के पद (दो) तथा (तीन) से संबंधित देयकों (बिल्स) का पूर्ण भुगतान खण्ड (घ) में बतलाई गई सीमा को छोड़कर शासन द्वारा किया जायेगा.

(घ) अध्यक्ष का निजी सचिव तथा तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवक, जो स्टाफ क्वाटर्स अधिवासित किये हुये हो, अपने-अपने क्वार्टरों में उनके द्वारा उपभोग की गई विद्युत से संबंधित विद्युत व्यय का पचास प्रतिशत वहन करेंगे.

(5) निवास स्थान के संबंध में वास्तविक नगरपालिक करों का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा.

(6) शासन अध्यक्ष को दिये गये निवास स्थान के लिये एक चौकीदार, एक फर्राश, एक मेहतर तथा एक माली रखेगा.

अनुसूची 1

नियम 3 (एक) देखिये

सूची क

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के बंगलों के लिये फर्नीचर तथा उपस्करण संबंधी सामान की मानक सूची

अ.क्र.	फर्नीचर आदि वस्तुओं का वर्णन	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कांच वाली अलमारी	1	1
2	बिना कांच की अलमारी	3	3
3	छोटी अलमारी	1	1
4	स्नान करने का सूराखदार पटा	4	3
5	नहाने का टब जी.आई.	4	3
6	नारियल के जटा वाली चरपाई	4	4
7	निवाड़ की या स्प्रिंगदार लकड़ी की खाट	8	6
8	चादरें	16	12
9	बगीचे की बैंच	1	1
10	बुक शेल्फ (केस)	1	1
11	पीतल की बाल्टी	2	2
12	बाल्टी जी.आई.	4	3
13	कारपेट	बैठक, शयन तथा भोजन कमरें के लिये.	
14	हत्थेदार कुर्सियां	10	8
15	भोजन करने की बिना हत्थे की कुर्सियां	12	12
16	अर्ध आराम (हाफ इजी) कुर्सिया	10	8
17	दराज वाली पेटी (बड़े आकार की)	1	1
18	बड़ी घड़ी (क्लाक)	1	1

19 बिस्तर के तकियें के खोल	32	24
20 दरवाजों के लिये पर्दे	बैठक, शयन, भोजन तथा परिधान के कमरों के दरवाजों के लिये,	
21 खिड़कियों के लिये पर्दे	ऊपर वर्णित समस्त कमरों के लिये	
22 लिखने की डेस्क (महिलाओं के लिये)	1	1
23 आवश्यक सामान रखने के लिये ड्रम भिन्न-भिन्न आकार के	4	4
24 छोटे ड्रम	4	3
25 अंग्रेजी डिनर परोसने का एक सेट चम्मच, कांटों तथा छुरियों सहित (6 व्यक्तियों के लिये)	1 सेट	1 सेट
26 फूलदान	2	2
27 गलीचा		बैठक के लिये
28 पीतल के गुंड ढक्कन सहित	2	2
29 रूई के गद्दे	8	6
30 दूध रखने की हवादार अलमारी	2	2
31 मच्छरदानियां, उनके लगाने के सामान सहित	8	6
32 तामचीनी के मग	4	3
33 रसोई घर के लिये विविध आवश्यक वस्तुय	1 सेट	1 सेट
34 बिस्तर के तकियें	16	12
35 राष्ट्रीय नेताओं के चित्र	1 सेट	1 सेट
36 बिस्तरों के लिये धुस्से (रग्स)	4	3
37 साइड बोर्ड	1	1
38 साबुन रखने की तश्तरी तथा साबुनदानिया	8	6
39 दो इकहरे तथा 1 डबल सोफा वाला सोफासेट (बेंत) गद्दियों सहित.	1 सेट	1सेट
40 उपयुक्त अनुसार स्प्रिंगदार सोफासेट	1 सेट	1 सेट
41 स्टूल	2	2
42 साधारण स्टूल	4	3
43 बीच की मेज तथा बगल की मेज	1 सेट	1 सेट
44 भोजन करते समय उपयोग में लाये जान वाले मेजपोश	4	4
45 भोजन करने के लिये मेज (आगे बढ़ने वाली)	(12 व्यक्तियों के लिये)	(12 व्यक्तियों के लिये)
46 श्रृंगार करने की मेज कांचवाली	1	1
47 साधारण मेज (लिखने के लिये)	4	3
48 अतिरिक्त मेज	1	1
49 रुई की गद्दी तथा दो लोडों सहित लकड़ी का तख्त (प्रत्येक गद्दी तथा लोड के लिये दो-दो खोल)	1 सेट	1सेट
50 तिपाई	4	3
51 चाय परोसने का सेट (6 व्यक्तियों के लिये)	2	2
52 स्नान करने की तौलिया (टरकिश)	12	9

53 तौलिया रखने के रैक	4	3
54 मामूली तौलिया	8	8
55 प्रक्षालन-पात्र (वाश बैसिन)	4	3

बिद्युत उपकरण

(1)	(2)	(3)	(4)
1	बिजली का हीटर	1	1
2	बिजली का आयरन	1	1
3	बिजली की केटली	1	1
4	प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर)	1 जब मांगा जाये	
5	रेडियों (रिसीवर सेट)	1	1
6	टेबिल फेन	3	2
7	टेबिल लैम्प	3	2
8	वायुशीतक (एयर कूलर)	1	1

सूची ख

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कार्यालय के लिये फर्नीचर तथा उपस्करण संबंधी सामान की मानक सूची

क्रमांक	वस्तुओं का वर्णन	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
	कार्यालय तथा मुलाकाती कमरा--		
1	अलमारी	3	2
2	बैंच	2	2
3	कारपेट	1	1
4	बैंत की कुर्सिया	4	4
5	कुर्सियां	4	4
6	घूमने वाली कुर्सिया	1	1
7	मेज के लिये कुर्सियां	4	4
8	अर्ध आराम (हाफ ईजी) कुर्सिया	2	2
9	चिकें	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उनके निजी कर्मचारी वृन्द के कार्यालय के कमरों के समस्त दरवाजों तथा खिड़कियों के लिये.	
10	पायन्दा	कार्यालय के कमरों के समस्त दरवाजों के लिये.	
11	दरियां	2	2
12	रेक	3	3
13	कार्यालय मेज अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिय	1	1
14	लिखने की मेज निजी सचिव के लिये/वैयक्तिक सहायक के लिये	1	1

15	लिखने की मेज कर्मचारीवृन्द के लिय	1	1
16	मुद्र लेखक (टाइपिस्ट) के लिये मेज	1	1
17	बीच की मेज	1	1
18	बगल की मेज	1	1
19	रद्दी की टोकरी	4	4
20	वायुशीतक (एयर कूलर)	1	1

सूची "ग"

रसोई घर के लिये विविध सेट

क्रमांक	वस्तुओं का वर्णन	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
(1)	(2)	(3)
1	तामचीनी का पात्र (बेसिन)	1
2	बिजली की सिगड़ी	1
3	बिजली का टोस्टर (टोस्ट सेकने का यंत्र)	1
4	पीतल के गंज ढक्कन सहित	2
5	पीतल के गंज हेण्डिल सहित	2
6	चक्की	1
7	गरमपेटी (हाट केस)	1
8	भारतीय पद्धति की डिनर परोसने का	
	स्टेनलेस स्टील का सैट :- गंज ढक्कन सहित	4
	कटोरियां	36
	लोटे	6
	चम्मच	24
	थालियां	12
	पीने के काम के गिलास	12
9	लोहे की सन्सी	1
10	लोहे की सिगड़ी	1
11	लोहे का चिमटा	1
12	लोहे का तवा	1
13	अलमुनियम तथा पीतल के झारे	2 प्रत्येक का एक एक
14	पीतल की बटलोई (Kettle Brass)	2
15	पीतल की करछली	5
16	पीतल के लोटे	6
17	3 सेर तथा 1 1/2 सेर दूध के लिए बाल्टी	1 (तीन सेर के लिए) 1 (डेढ़ सेर के लिए)
18	लोहे का खरल बट्टा	1
19	पीतल के मग	2
20	पीतल की परात	1
21	पीढ़े	24
22	नमक मिर्च दान	1
23	पीतल की ट्रे	2
24	लकड़ी की ट्रे	2
25	टिफिन कैरियर	1
26	पानी के लिए सुराही	1

अनुसूची "2"

नियम 6 (3) देखिए

	अध्यक्ष	**उपाध्यक्ष**
फर्नीचर तथा उपस्करण संबंधी सामान के प्रतिस्थापन, मरम्मत, उस पर वार्निश करने तथा उसकी धुलाई का खर्च.	1000 रूपये प्रतिवर्ष	800 रुपये प्रतिवर्ष

["मध्यप्रदेश राजपत्र"असाधारण दिनांक 12 जनवरी,1973 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 1973--पौष 22, 1894

क्र. 347-8-एक (i) -- मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (25 सन् 1972) की धारा 9 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा, मंत्रियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किये जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :-

नियम

1. ये नियम मध्यप्रदेश मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम 1972 कहलायेंगे.

2. परिभाषा -- इन नियमों में "मंत्री" से अभिप्रेत है मंत्री परिषद् का सदस्य तथा उसके अंर्तगत राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव आते है.

3. इन नियमों के अधीन यात्रा भत्ता ऐसी यात्राओं के लिये अनुज्ञेय होगा जो कि केवल लोक हित में कि गई हो इन यात्राओं को ऐसे कर्तव्यों के कारण आवश्यकता हो जिनका की पालन मुख्यालय पर न किया जा सकता हो.

टिप्पणी -- किसी ऐसे मंत्री द्वारा मुख्यालय से बाहर स्थित किसी स्थान पर जहा की वह केवल वैयक्तिक कारणों से गया हो, सामान्य कर्तव्यों का पालन करना यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार बनाने हेतु पर्याप्त नहीं होगा.

4. (1) कोई मंत्री, जबकि वह रेल द्वारा कर्तव्य पर यात्रा कर रहा हो, कोई भुगतान किये बिना, --

(एक) उच्च शासकीय अध्यपेक्षा द्वारा प्रथम वर्ग के डिब्बे में या वातानूकुलित कोच में एक कूपे आरक्षित करने के लिये हकदार होगा.

(2) आरक्षित स्थान कि प्राधिकृत क्षमता के अध्यधीन रहते हुए, आरक्षित स्थान में एक नातेदार को साथ में ले जाने के लिये हकदार होगा. यह रियायत मंत्री द्वारा प्रथम वर्ग के डिब्बे में यात्रा करने पर भी अनुज्ञेय होगी.

(3) एक वैयक्तिक सेवक के लिये निम्नतम वर्ग की दर से स्थान तथा पांच क्विन्टल तक समभार, (लगेज) चाहे वह ट्रेन के लगेज वाहन में ले जाया गया हो या किसी अन्य ट्रेन द्वारा भेजा गया हो, ले जाने के लिये हकदार होगा.

खण्ड (3) में वर्णित से भिन्न माल या भण्डार के लिये भाड़े के प्रभारों की पूर्ति मंत्री द्वारा स्वंय की जायेगी.

जब खण्ड (एक) के अधीन यात्रा की जाये, तो मंत्री "अ" ग्रेड पदाधिकारियों को अनुज्ञेय अनुषंगिक व्यय के लिये हकदार होगा तथा शासन द्वारा स्थान आरक्षण प्रभारों का भुगतान किया जायेगा :

परन्तु जहां कोई मंत्री उच्च शासकीय अध्यपेक्षा से भिन्न, साधारण प्रथम वर्ग के डिब्बे में या वातानुकूलित कोच में केवल एक बर्थ लेकर यात्रा करें, वहां वह वास्तविक रूप से भुगतान किया गया भाडा तथा ऐसे अनुषंगिक व्यय, जो "अ" ग्रेड पदाधिकारियों को अनुज्ञेय हो, प्राप्त कर सकेगा.

5. (1) कोई मंत्री जबकि वह सड़क द्वारा कर्तव्य पर यात्रा कर रहा हो :- (एक) जबकि यात्रा मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 की धारा (6) के अधीन उसे दी गई मोटर गाड़ी से की जाये, तो नियम 7 में विनिर्दिष्ट दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा. गाड़ी के चालन हेतु व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किये जायेंगे.

(दो) एक वैयक्तिक सेवक के लिये सड़क या रेल द्वारा प्रवहण के तथा पांच क्विन्टल तक वैयक्तिक संचार के वास्तविक व्यय की वसूली के लिये हकदार होगा.

(2) जब कोई मंत्री कर्तव्य पर किसी दूसरे राज्य शासन द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्र के भीतर सड़क द्वारा यात्रा करें तथा यात्रा किसी भाड़े के वाहन में की जाये, तो वह 32 पैसे प्रति किलो मीटर की दर से यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा.

(3) यदि किसी कारण वश कोई मंत्री विभागीय मोटर गाड़ी का उपयोग करना लोक हित में आवश्यक समझे, तो वह नियम 7 में विनिर्दिष्ट दरों से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा तथा मोटर गाड़ी के चालन व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किये जायेंगे.

6. अपवादात्मक परिस्थितियों में, यदि कोई मंत्री लोक सेवा की आत्यावश्यकता में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल या सड़क द्वारा अपनी रिक्त मोटर गाड़ी भेजना आवश्यक समझे, तो वह रेल द्वारा मोटर गाड़ी भेजने पर उपगत वास्तविक व्यय या सड़क द्वारा वास्तविक रुप से भेजी गई दूरी के लिये रिक्त मोटर गाड़ी प्रक्षेपण के वास्तविक व्यय प्रभारित करने के लिये हकदार होगा.

* 7. फन्डामेन्टल रुल्स, जिल्द 2 के परिशिष्ट पांच में अनुपूरक नियम 48 से 53 में दी गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कोई भी मंत्री राज्य के भीतर प्रतिदिन ।। रुपये 51 (इक्कावन) का दैनिक भत्ता करने के लिये हकदार होगा :

परन्तु जब वह राज्य के बाहर दौरे पर हो तो वह प्रतिदिन ।।। रुपये 60 (साठ) का दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा :

परन्तु यह और भी कि जब उसे राज्य के बाहर दौरे पर या विदेश में प्रतिनियुक्ति पर राज्य अतिथि के रुप में माना जाय और परिदर्शित किये गये राज्य/संघ/या देश की सरकार के खर्च पर निशुल्क भोजन तथा वास सुविधा की व्यवस्था की जाय तो प्राप्त किया जाना वाला दैनिक भत्ता संबंधित स्थान पर उसे अनुज्ञेय दैनिक भत्ते के आधे भाग तक सीमित होगा.

8. जबकि मध्यप्रदेश फन्डामेन्टल रुल्स, जिल्द दो के परिशिष्ट पांच के सप्लीमेन्ट्री रुल्स 55 में अवधारित शर्तों की पुर्ति होती हो, तो कोई मंत्री दैनिक भत्ते के बदले मील भत्ता ले सकेगा.

9. कोई मंत्री, मध्यप्रदेश फन्डामेन्टल रुल्स, जिल्द दो के परिशिष्ट पांच के सप्लीमेन्ट्री रुल्स 55-ए के अधीन अनुज्ञेय आधा दैनिक भत्ता प्राप्त करने की रियायत के लिये हकदार होगा.

10. (1) कोई मंत्री जबकि वह विमान द्वारा यात्रा कर रहा हो, : (एक) उस मामले को छोड़कर जबकि ऐसी यात्रा वाणिज्यिक हवाई कम्पनी को लागू क्रेडिट व्हाउचर विनिमय आदेश पद्धिति के अधीन की जाये, विमान यात्रा हेतु भुगतान किये गये वास्तविक भाड़े के लिये हकदार होगा. पश्चात् वर्ती मामले में प्रभारों का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा.

(दो) एक वैयक्तिक सेवक के लिये निम्नतम वर्ग द्वारा वास्तविक रेल भाड़े के लिये तथा 224 किलोग्राम वैयक्तिक संभार को रेल द्वारा निशुल्क ले जाने के लिये हकदार होगा :

परन्तु ऐसा कोई मंत्री, जो अपनी चीज वस्तु विमान द्वारा ले जाये अधिकतम 224 कि.ग्रा. के अध्यधीन रहते हुए उस रकम की जो कि भू-मार्ग द्वारा उसी मात्रा को ले जाने पर उसे अनुज्ञेय होती, सीमा तक वास्तविक व्यय वसूल कर सकेगा.

(तीन) एक दिन में की गई किसी विमान यात्रा के दोनों और सड़क से संबंध समस्त ऐसी यात्राओं के लिये, जो विमान यात्रा का भाग न हो या जिन्हे विमान भाड़े में सम्मिलित न किया गया हो, इन नियमों के अधीन दैनिक भत्ते की सीमा तक विहित दर से मील भत्ता पाने के लिये हकदार होगा.

(2) शासकीय कारण से विमान द्वारा की जाने वाले यात्रा रद्द किये जाने पर कोई मंत्री, विमान यात्रा के रद्द किये जाने के कारण हवाई परिवहन कम्पनी द्वारा की गई शुद्ध कटौतियों की शासन द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु हकदार होगा.

(3) ऐसे अनुषंगिक प्रभारों के लिये हकदार होगा जो कि "अ" ग्रेड पदाधिकारियों को अनुज्ञेय हो.

11. यदि किसी मंत्री की शासकीय विमान द्वारा या शासन द्वारा भाड़े पर लिये गये विमान द्वारा निशुल्क यात्रा करने हेतु अनुज्ञात किया जाये और उसे स्वंय के खर्चे पर उसके सेवक या संभार हेतु कोई पृथक प्रवहण की व्यवस्था न करना पड़े तो वह उसे अनुज्ञेय दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा तथा उसे मील भत्ते के रुप में नहीं बदलेगा. तथापि यदि यात्रा का कोई भाग गमनागमन के अन्य साधन द्वारा किया जाय, तो वह उसके विकल्प पर दैनिक भत्ते के बदले में उस भाग के लिये अनुज्ञेय मील भत्ता प्राप्त कर सकेगा.

---

* सामान्य प्रशासन विभाग कि अधिसूचना क्रमांक 4348-3165-एक(i), दिनांक 2 जुलाई, 1976 द्वारा स्थापित.

** सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1661-1470-एक(i)-81, दिनांक 4 जुलाई, 1981 द्वारा शब्द, अंक तथा कोष्ठक "इक्कतीस" (31) के स्थान पर स्थापित.

*** सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1661-1470-एक(i)-81, दिनांक 4 जुलाई, 1981 द्वारा शब्द , अंक तथा कोष्ठक "चालीस" (40) के स्थान पर स्थापित.

12. (1) भारत के बाहर कर्तव्य पर अग्रसर होने वाला कोई मंत्री निम्नलिखित प्राप्त करने के लिये हकदार होगा :-

(एक) भारत के परिदर्शन के स्थान तक तथा वापसी यात्रा के लिये एक भाड़ा;

(दो) भारत सरकार की नियमों के अधीन तत्स्थानी ग्रेड के पदाधिकारियों को अनुज्ञेय दरों से दैनिक भत्ता तथा भोजन एवं निवास पर किया गया वास्तविक व्यय;

(तीन) इनाम, उपदान तथा शासकीय आदर सत्कार पर, जहां कहीं वह आवश्यक हो किया गया वास्तविक व्यय; और

(चार) शासकीय कर्तव्य पर उपगत आनुषंगिक व्यय जैसे टैक्सी भाड़ा, गाड़ी (केब) भाड़ा आदि.

(2) उपखण्ड (दो) के अधीन भोजन तथा निवास पर किये गये वास्तविक व्यय, ऊपर उपखण्ड (तीन) तथा (चार) के अधीन व्यय के दावों का समर्थन सयुंक्त राज्य (युनाईटेड किंगडम) में के उच्चायुक्त द्वारा या संबंधित देश के भारतीय दूत मंडल के प्रमुख द्वारा या इस संबंध में उच्चायुक्त या दूत मंडल के प्रमुख द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा या उस प्रतिनिधि मंडल के नेता द्वारा, जिसका की मंत्री सदस्य हो, प्रत्येक यात्रा भत्ता देयक पर अभिलिखित किये गये इस आशय के प्रमाण पत्र द्वारा किया जायेगा कि उसका यह समाधान हो गया है. कि खर्च वास्तव में किया गया और वह ऐसी लोक सेवा के हित में था, जिसके कि कारण यात्रा करनी पड़ी और यह कि व्यय प्रचलित दरों के अनुसार है.

13. जबकि कोई मंत्री भारत के बाहर किसी यात्रा पर अग्रसर हो रहा हो तो उसे अग्रिम मंजूर किया जा सकेगा. उसकी यात्रा पूरी हो जाने ऐसी रीति में जैसी कि राज्य शासन प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में आदेश द्वारा अवधारित करें, समायोजन के अध्यधीन रहते हुए अग्रिम की मंजूरी उतनी रकम तक, जो उसके वैयक्तिक यात्रा व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त हो, राज्य शासन के विवेक पर की जा सकेगी. अग्रिम स्वाभाविक रुप से नहीं किया जायेगा, किन्तु केवल ऐसे अवसरों पर मंजूर किया जायेगा जबकि यात्रा व्यय इतना अत्यधिक हो कि जिससे मंत्री के प्रायवेट स्त्रोतों पर अत्यधिक भार पड़े.

14. कोई मंत्री निम्नलिखित के संबंध में स्वंय के लिये यात्रा भत्ता इन नियमों के अनुसार प्राप्त करने के हेतु हकदार होगा.

(एक) भोपाल से बाहर उसके सामान्य निवास स्थान से पदभार ग्रहण किये जाने हेतु भोपाल तक यात्रा के संबंध में; और

(दो) पदमुक्त होने पर भोपाल के बाहर स्थित उसके सामान्य निवास स्थान तक की यात्रा के संबंध में.

ऐसे अवसरों पर वह इसके अतिरिक्त उस वर्ग का एक अतिरिक्त भाड़ा, जिससे कि यात्रा करने के लिये वह हकदार हो, उसके कुटुंब के (फन्डामेंटल रुल्स में परिभाषित किये गये अनुसार), ऐसे प्रत्येक

वयस्क सदस्य के लिये जो उसके साथ हो तथा जिसके लिये उस वर्ग का पूरा भाड़ा वास्तविक रुप से भुगतान किया हो और प्रत्येक बालक के लिये आधा भाड़ा जिसके कि संबंध में ऐसे भाड़े का वास्तविक रुप से भुगतान किया गया हो तथा उसको ओर उसके कुटुंब को 48 क्विन्टल तक चीज वस्तु के परिवहन प्रभार प्राप्त करने के लिये हकदार होगा.

टिप्पणी :- ऊपर दिये गये नियम के अधीन किसी मंत्री के लिये अनुज्ञेय संभार, प्रभार, संभार का परिवहन रेल द्वारा किये जाने के मामले में, फन्डामेंटल रुल्स, जिल्द दो के परिशिष्ट पांच के सप्लीमेन्ट्री रुल 81 सी (1) तथा तद्धीन दिये गये टिप्पणी के अनुसार और सड़क द्वारा संभार का परिवहन किये जाने के मामले में सप्लीमेन्ट्री रुल्स 81 (सी) (2) तथा तद्धीन दिये गये टिप्पणी के अनुसार बिनियमित होंगे.

15. मुख्यमंत्री की मृत्यु या उसके द्वारा पद त्याग किये जाने के परिणाम स्वरुप मंत्री परिषद् के विघटन की दशा में ऐसा कोई मंत्री जो कि कर्तव्य पर यात्रा करते हुए मुख्यालय से बाहर हों, मुख्यालय तक अपनी वापसी यात्रा के लिये उन्हीं यात्रा तथा अन्य भत्तों के लिये हकदार होगा, जो कि उसे मंत्री परिषद् के द्वारा विघटन के ठीक पूर्व इन नियमों के अनुज्ञेय हो.

16. मध्यप्रदेश मिनिस्टर एण्ड डेप्युटी मिनिस्टर (ट्रेवलिंग एण्ड डेली अलाउन्सेज) रुल्स, 1957 की एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही जब तक कि ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के किन्ही भी उपबंधों से असंगत न हो, इन नियमों के तत् स्थानिक उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.जे. हीरजी, विशेष सचिव.

भोपाल दिनांक 12 जनवरी, 1973 -- पौष 22, 1894

क्र. 348-8-एक(1)--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्र. 347-8-एक(1), दिनांक 12 जनवरी, 1973 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.जे. हीरजी, विशेष सचिव.

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता)अधिनियम,1972 (क्र.-27 सन् 1972) में समय समय पर आये संशोधनों का सार

धारा 2 का संशोधन

(1) वर्ष 1981 में क्र. -22 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र.-27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में शब्द "एक हचार पांच सौ रुपये" तथा "एक हजार दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक हजार सात सौ पचास रुपये" तथा "एक हजार पांच सौ रुपये" स्थापित किये जाये.

(2) वर्ष 1987 में क्र. 11 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र.-27 सन् 1972) में --

(क) धारा दो में शब्द "एक हजार सात सौ पचास रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये प्रतिमास" और शब्द "एक हचार पांच सौ रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "एक हजार सात सौ पचास रुपये प्रतिमास" स्थापित किये जाये;

(3) वर्ष 1988 में क्र. 17 द्वारा संशोधन

(क) धारा दो के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात :-

"2.अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को एक हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा.";

(4) वर्ष 1997 में क्र. 24 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र.-27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ" स्थापित किये जाये.

(5) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र.-27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में शब्द 'एक हजार पांच सौ' के स्थान पर शब्द "चार हजार" स्थापित किये जाये.

(6) वर्ष 2010 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र.-27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में शब्द "नौ हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किये जाये.

(7) वर्ष 2010 में क्रमांक 22 द्वारा संशोधन

अध्यक्ष को सत्ताईस हजार रूपये और उपाध्यक्ष को पच्चीस हजार रूपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा।

धारा 3 का संशोधन

(1) वर्ष 1987 में क्र. 11 द्वारा संशोधन

(ख) धारा तीन में, शब्द "दौ सौ पचास रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये प्रतिमास"और शब्द"दौ सौ रुपये प्रतिमास"के स्थान पर शब्द"सात सौ रुपये प्रतिमास"स्थापित किये जाये.

(2) वर्ष 1988 में क्र. 17 द्वारा संशोधन

धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये अर्थात् :-

(1) अध्यक्ष को एक हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता और उपाध्यक्ष को पांच सौ रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जायेगा.

(2) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को एक हजार दौ सौ पचास रुपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.

(3) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान 75 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.;

(3) वर्ष 1993 में क्रमांक 9 द्वारा संशोधन

2. For section 3 of the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972, the following section shall be substituted, namely :-

"3 (1) There shall be paid to the Speaker a sumptuary allowance of rupees per mensem and to the Deputy Speaker a sumptuary allowance of rupess per mensem.

(2) There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker a constitutency allowance of three thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to the speaker and the Deputy Speaker a daily allowance of one hundred fifty rupees per day."

(4) वर्ष 1997 में क्र. 24 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 3 में --

(एक) उपधारा (1) में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "दौ हजार पांच सौ" और शब्द "सात सौ पचास" के स्थान पर शब्द "एक हजार पाच सौ" स्थापित किये जाये; और

(दो) उपधारा (3) में शब्द 'एक सौ पचास के' स्थान पर शब्द 'दो सौ' स्थापित किये जाये.

(5) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, शब्द एक हजार पांच सौ के स्थान पर, शब्द चार हजार स्थापित किए जाएं.

(6) वर्ष 2008 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, शब्द चार हजार के स्थान पर, शब्द नौ हजार स्थापित किए जाएं.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, --

(एक) उपधारा (1) में, शब्द "दो हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" और शब्द एक हजार पांच सौ के स्था पर शब्द पांच हजार स्थापित किये जाये.

(दो) उपधारा (2) में, शब्द तीन हजार के स्थान पर शब्द आठ हजार स्थापित किये जाये. और

(तीन) उपधारा (3) में शब्द दो सौ के स्थान पर शब्द पांच सौ स्थापित किये जाये.

वर्ष 2008 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, --

(एक) उपधारा (1) में, शब्द "आठ हजार" तथा "पांच हजार" के स्थान पर क्रमशः शब्द "नौ हजार" तथा "छह हजार" स्थापित किये जाये.

(दो) उपधारा (2) में, शब्द आठ हजार के स्थान पर शब्द बारह हजार स्थापित किये जाये.

वर्ष 2010 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, --

(एक) उपधारा (1) में, शब्द "नौ हजार" तथा "छह हजार" के स्थान पर क्रमशः शब्द "तेरह हजार" तथा "दश हजार" क्रमशः स्थापित किये जाये.

(दो) उपधारा (2) में, शब्द बारह हजार के स्थान पर शब्द अठारह हजार स्थापित किये जाये.

(तीन) उपधारा (3) में, शब्द पांच सौ के स्थान पर शब्द आठ सौ स्थापित किये जाये.

वर्ष 2010 में क्रमांक 22 द्वारा संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, --

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

"(1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अठारह हजार रूपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जायेगा.";

(दो) उपधारा (2) में, शब्द अठारह हजार के स्थान पर शब्द सत्रह हजार स्थापित किये जाये.

धारा 5 का संशोधन

वर्ष 1981 में क्र. 22 द्वारा संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में शब्द "एक मोटर चालक (शोफर)" के स्थान पर शब्द शब्द "दो मोटर चालक (शोफर) "स्थापित किये जाये.

धारा 6 का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्र. 55 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्र. 27 सन् 1972) इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात् :-		**धारा 6 के स्थान पर नवीन धारा का स्थापन**

"6. (1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कुटुंब के सदस्य चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तों पर निशुल्क, प्राप्त करने के हकदार होंगे जो कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुंब के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (क्रं. 61 सन् 1951) के अधीन समय समय पर बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती है.		**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि**

(2) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, जबकि वह भारत से बाहर ऐसे दौरे पर हो, जो कि उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो, ऐसी चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार का भी निशुल्क हकदार होगा जो कि उस स्थान पर भारत मिशन (इण्डिया मिशन) के प्रधान को अनुज्ञेय हो."

(2) वर्ष 1983 में क्र. 24 द्वारा संशोधन		**धारा 6 का संशोधन**

2. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्र. 27 सन् 1972) का धारा 6 में, :

(क) उपधारा (1) को उसकी धारा (1-क) के रुप में पुनर्क्रमांकित किया जाय और इस प्रकार पुर्नक्रमांकित उपधारा (1-क) के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित की जाये, अर्थात् :-

"(1) अध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष को प्रतिमास पांच सौ रुपये का चिकित्सीय भत्ता दिया जायेगा. "

(ख) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1-क) में, प्रथम बार आने वाले शब्द "अध्यक्ष तथा

उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द, कोष्टर और अंक "उपधारा (1) के अधीन देय चिकित्सा भत्ता के अतिरिक्त, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष" स्थापित किये जाये.;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

"**स्पष्टीकरण :** इस धारा में "चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार" से अभिप्रेत है भरती होने पर अर्तवासी रोगी के रुप में चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार";

(घ) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष स्थापित किया जाये, अर्थात :-

"अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये चिकित्सा भत्ता, चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार"

(3) वर्ष 1988 में क्र. 17 द्वारा संशोधन

धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात :-

"6. राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कुटुंब के सदस्य जो उसपर आश्रित हो, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे चिकित्सालयों में स्थान निशुल्क प्राप्त करने के तथा चिकित्सीय परिचर्या और उपचार निशुल्क प्राप्त करने के भी हकदार होंगे"

(4) वर्ष 1989 में क्र. 13 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्र. 27 सन् 1972) में धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात :-

"6. (1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कुटुंब के सदस्य चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तों पर निशुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुंबों के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का सं. 61) के अधीन समय समय पर बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती है.

(2) यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जबकि वह भारत से बाहर ऐसे दौरे पर हो, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो, ऐसी चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार का भी निशुल्क हकदार होगा जो उस स्थान पर भारत मिशन (इण्डिया मिशन) के प्रधान को अनुज्ञेय हो.'

धारा 8 का संशोधन

(1) वर्ष 1973 में क्र.15 द्वारा संशोधन

(ख) उन दौरों के संबंध में जो कि उसने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में *या लोक कार्य से थल, जल या वायु मार्ग द्वारा किये हो, यात्रा तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा.

*अधिनियम क्र. 15 सन् 1973 द्वारा संशोधित (यह संशोधन मूल अधिनियम के प्रारंभ से ही उसका भाग बन गया समझा जायेगा).

धारा 8-क का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्र.55 द्वारा संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् अन्तः स्थापित की जा रही निम्नलिखित धारा के संबंध में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वह 1 अप्रैल, 1974 से अन्तः स्थापित की गई है, अर्थात :-		**नवीन धारा 8-क का अन्तः स्थापन**

"8-क--

(एक) इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को देय समस्त भत्तों की बाबत् :- और		**भत्ते तथा परिलब्धियों में से आय कर नहीं लिया जायेगा**

(दो) किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बाबत् एवं उन अन्य परिलब्धियों की बाबत्, जो कि इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अनुज्ञेय है.

यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से आयकर नही लिया जायेगा तथा यह आयकर राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार देय होगा मानो की यथा स्थिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उपयुक्त मदों से प्रोदभूत होने वाली आय ही आयकर अधिनियम 1961 (क्र. 43 सन् 1961) के प्रयोजनों के लिये यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की एक मात्र आय हो" .

(2) वर्ष 1997 में क्र. 38 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्र. 27 सन् 1972) की धारा 8-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, और उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि वह 1 अप्रैल 1994 से स्थापित की गई है, अर्थात :-

"8-क. इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को देय समस्त भत्तों की बाबत् और किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बाबत् एवं उन अन्य परलब्धियों की बाबत् जो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय है, यथा स्थिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से आयकर नहीं लिया जायेगा और वह आयकर यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा देय अधिकतम दर पर राज्य सरकार द्वारा देय होगा. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देय उक्त भत्तों तथा परलब्धियों से प्रोदभूत आय की कुल रकम में से समय समय पर अनुज्ञेय आयकर से छूट की सीमा की रकम और मानक कटोतियों की रकम जो भी हो, घटाई नहीं जायेगी".

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम (27 of 1972)

की धाराओं में आये संशोधन

(1)	15 of 1973	धारा - 8
(2)	55 of 1976	धारा - 6,8 क
(3)	22 of 1981	धारा - 2, 5
(4)	24 of 1983	धारा - 6
(5)	11 of 1987	धारा - 2,3
(6)	17 of 1988	धारा - 2,3,6
(7)	13 of 1989	धारा - 6
(8)	9 of 1993	धारा - 3
(9)	24 of 1997	धारा - 2,3
(10)	38 of 1997	धारा - 8 क
(11)	26 of 2001	धारा -2,3
(12)	23 of 2008	धारा -2,3
(13)	18 of 2010	धारा -2,3
(14)	22 of 2010	धारा -2,3

THE MADHYA PRADESH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1972.

(No. 27 of 1972)

[Received the assent of the Governor on the 2nd September. 1972; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" Extraordinary. dated 2nd September. 1972].

As subsequently amended by :

1. M.P. Act No. 15 of 1973;
2. M.P. Act No. 55 of 1976;
3. M.P. Act No. 22 of 1981;
4. M.P. Act No. 24 of 1983;
5. M.P. Act No. 11 of 1987;
6. M.P. Act No. 17 of 1988 [1.4.1988];
7. M.P. Act No. 13 of 1989 [1.4.89];
8. Presi Act No. 9 of 1993 [25.1.1993];
9. M.P. Act No. 24 of 1997 [6.5.1997];
10. M.P. Act No. 38 of 1997 with restrospective effect from 1.4.1994.
11. M.P. Act No. 26 of 2001;

An Act to privide for the Salaries and Allowances of the Speaker and Deputy Speaker of the Madhya Pradesh Legislative Assembly.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twenty-third year of the Republic of India as follows :-

1. Short title.--This Act may be called the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972.

**[2. Salary of Speaker and Deputy Speaker-- There shall be paid to the Speaker and Deputy Speaker a salary of **[Nine thousand] rupees per mensem].

**[3. Sumptuary allowance, Constituency allowance and daily allowance to the Speaker and the Deputy Speaker.--(1) There shall be paid to the Speaker a sumptuary allowance of [Nine thousand] rupees per mensem and to the Deputy Speaker a sumptuary allowance of [Six thousand] rupees per mensem;

**(2) There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker a constituency allowance of Twelve thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker a daily allowance of [Five hundred] rupees per day.]

4. Residence to Speaker and Deputy Speaker.--(1) The Speaker and the Deputy Speaker shall be entitled, without payment of rent to the use of a furnished residence throughout his term of office at Bhopal and for the period of one month immediately thereafter, and no charge shall fall on the Speaker or the Deputy Speaker personally in respect of the maintenance of such residence.

Explanation.--(1) For the purposes of this section "residence" includes the staff quarters and other building appurtenant thereto and the garden thereof, and of "maintenance" in relation to a residence includes the payment of local rates and taxes and the provision of electricit and water.

(2) If the Speaker or the Deputy Speaker does not avail of the benefit of sub-section (1), he shall, in lieu thereof, be entitled to a house rent allowance equal to twenty per centum of the salar payable to him under section 2.

(3) In addition to a free furnished residence at Bhopal under sub-section (1), the Speaker and Deputy Speaker shall also be entitled to the use of a furnished residence without payment of rent at any other place which the State Government may, from time to time for purpose of this Act, declare to be the place of official residence of the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, so long as such declaration remains in force.

1. * Subs. by M.P. Act 26 of 2001.
2. ** Subs. by M.P. Act 23 of 2008.

NOTIFICATION

The State Government rescinded Notfn. No. 20-F-I(2)2-XLVIII-94(P.A.), Dated 17th February, 1994. See M.P. Rajpatra, Ext.,dated 16.9.1996. P.815.

(4) The expenditure to be incurred in respect of furnishing of the residence provided to the Speaker and Deputy Speaker under sub-section(1) shall, in the case of residence provided to the Speaker, be subject to the monetary limit of thirty five thousand rupees and in the case of residence provided to the Deputy Speaker, be subject to the monetary limit of twenty five thousand rupees.

(5) The annual expenditure to be incurred in respect of upkeep, annual repairs and maintenance of the residence and garden provided under sub-section (1) shall be subject to such monetary limits as may be laid down by rule made in this behalf by the State Government.

5. Conveyance for Speaker and Deputy Speaker.--(1) There shall be provided to the Speaker and Deputy Speaker for his use a suitable motor vehicle purchased and maintained at public expenses in accordance with the rules to be made by the State Government in that behalf.

(2) The State Government shall also provide at public expense 1[two chauffeurs] for each such motor vehicle, and also supply for each motor vehicle, motor fuel consumed for journeys (other than journeys for which travelling allowance is admissible) performed by each such motor vehicle subject to a maximum of three hundred and fifty litres per month in the case of a motor vehicle provided to the Speaker and three hundred litres per month in the case of a motor vehicle provided to the Deputy Speaker.

2[6. Medical attendance and treatment etc. to the Speaker and the Deputy Speaker.--(1) The Speaker and the Deputy Speaker and members of the family of the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, shall be entitled to medical attendance and treatment, free of charge on the scale and conditions applicable to the members of the All India Services and Members of their families under the rules relating to medical attendance and treatment made from time to time, under the All India Services Act, 1951 (No. LXI of 1951).

(2) While on tour undertaken by him in the discharge of his official duties outside India the Speaker or Deputy Speaker as the case may be shall also be entitled to such medical attendance and treatment, free of charge, as may be admissible to the Head of the India Mission at that place.]

1. Subs. by M.P. 22 of 1981.
2. Subs. by M.P. 13 of 1989 [1-4-1989].

7. Prohibition against practising any profession, drawing salary as member, etc.--The Speaker or the Deputy Speaker shall not,--

(a) during the tensure of his office for which he draws salary and allowance, practice any profession or engage in any trade or undertake for remuneration any employment other than his duties as Speaker or Deputy Speaker; and

(b) while he draws salary and allowance for his office, be entitled tlo any salary or allowance as member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly.

8. Travelling and daily allowance to Speaker and Deputy Speaker.--(1) The Speaker as well as Deputy Speaker shall, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government, be entitled to --

(a) travelling allowance for himself and the members of his family dependent upon him and for the transport of his family's effrects--

(i) in respect of the journey to Bhopal from his usual place of
residence out of Bhopal for assuming office; and

(ii) in respect of the journey from Bhopal to his usual place of residence out of Bhopal on relinquishing office; and

1[(b) travelling and daily allownaces in respect of tours under taken by him in the discharge of his official duties or taken by him in the discharge of his official duties or public business, whether by land, sea or air].

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, if the usual place of residence of the Deputy Speaker is other than Bhopal he shall during the priod when the Assembly is not in session, be entitled also to travelling and daily allowances in accordance with the rules made in this behalf in respect of tours undertaken by him in the discharge of his official duties from the place of his usual residence which in relation to such tours shall be deemed to be his headquarters.

(3) Any travelling allowance under this section may be paid in cash or free official transport provided in lieu thereof.

(4) In addition to travelling and daily allownaces payable in respect of tours specified in clause (b) of sub-section (1), the speaker and the Deputy Speaker shall be entitled, without payment of any charge to accommodation in, and provision of electricity at, circuit houses and rest houses maintained by the State government for the period of their stay during such tours.

1. Subs. by M.P. 15 of 1973.

8-A. (i) All allowances payable; and

(ii) furnished residence without payment of rent and other perquisties admissible, to the Speaker and Deputy Speaker under this Act, shall be exclusive of Income Tax which shall be payble by the State Government as if the income accruing therefrom to the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, were his only income for the purposes of Income-tax Act, 1961 (No. 43 of 1961)".		Allowance and perquisites to be exclusive of Income Tax

9. The date on which any person becomes or ceases to be the Speaker or Deputy Speaker shall be notified in the Gazette and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became or ceased to be the Speaker or Deputy Speaker on that date for all the purposes of this Act.		notification respecting appointment, etc. of. Speaker and Deputy Speaker to be conclusive evidence thereof

10. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid on the Table of the Legislative Assembly.		power to make rules

11. The Madhya Pradesh Speaker and Deputy Speaker (Salaries and Allowances) Act, 1956 (III of 1957) is hereby repealed.		repeal

1. Ins. by M.P. 55 of 1976 and substituted by MP 38 of 1997, with retrospective effect from 1.4.1994 for the following :-

"8-A. Allowance and perquistes to be exclusive of incometax.--(i) All allowances payable; and

(ii) furnished residence without payment of rent and other perquisties admissible, to the Speaker and Deputy Speaker under this Act, shall be exclusive of Income Tax which shall be payble by the State Government as if the income accruing therefrom to the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, were his only income for the purposes of Income-tax Act, 1961 (No. 43 of 1961)".

[Published in "Extraordinary gazette" of Madhya Pradesh, dated the 31st March, 1973.]

MADHYA PRADESH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA (YATRA TATHA DAINIK BHATTA) NIYAM, 1973.

(See section 8 of Madhya Pradesh Act No. 27 of 1972)

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Yatra Tatha Dainik Bhatta) Niyam, 1973.

* (2) These rules other than rule 4 shall be deemed to have come into force with effect from the 12th January, 1973 and rule 4 shall be deemed to have come into force on 2nd September, 1972.

2. In these rules, unless the context otherwise requires :-

(a) "Adhiniyam" means the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972).

(b) "Official residence" ;--

(i) in respect of the Speaker means the place of residence of theSpeaker specified in sub-section (1) or sub-section (3) of section 4, as the case may be, of the Adhiniyam; and

(ii) in respect of the Deputy Speaker, means the place of residence of the Deputy Speaker specified in sub-section (1) of section 4 or residence specified in sub-section (2) of section 8, as the case may be, of the Adhiniyam.

3. Subject to the provisions of rule 4 the Madhya Pradesh Mantri (Yatra Tatha Dainik Bhatta) Niyam, 1972, shall apply in the case of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly as
they apply in the case of a Minister.

**"[4. For the purposes of clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the Adhiniyam, "tours on public business" shall include any of the following journeys :-

(a) the journey for attending a conference or seminar organised by the Commonwealth Parliamentary Association of London in any part of the world;

(b) the journey for attending a conference or committee of presiding officers of legislature held in any part of India;

(c) the journey for participation in any public or other function arranged anywhere in India by any of the State Governments or local authorities in India.

(d) the journey in connection with visiting any other Legislature in India;

(e) the journeys within the State for :-

(i) participation in any public or other function arranged by the State Government or a local authority;

(ii) Visiting sites or places of developmental activities undertaken by the State Government.]"

*5. The rules for the payment of travelling and daily allowance to the Speaker and Deputy Speaker published under the then Law Department Notification No. 1053-84-1-(1), dated the 29 January 1957 shall stand repealed.

---

*Amended by Notification No. F-4-158-(i)-73-XXI-A (P.A.), dated 23rd April, 1973.

** Substituted by Law Department Notification No. 5968-F-4-79 (P.A.)-XXI-A, dated the 27th February, 1979 published in "Madhya Pradesh Rajpatra (Extraordinary)", dated 28th February, 1979.

[Published inPart IV of the "Madhya Pradesh Rajpatra", dated the 24th January 1975.]

MADHYA PRADESH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA (VAHNO KA KRAYA TATHA ANURAKSHANA) NIYAM, 1975.

(See section 5 of the Act)

1. These rules may be called the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vahno ka Kraya Tatha Anurakshana) Niyam, 1975.

2. In these rules, "Act" means the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972).

3. The State Government shall provide to the Speaker and the Deputy Speaker, a motor car for his use. The car shall be of value not exceeding Rs. 30,000.00. The car shall be of such make and of such model as the State Government may, in each case, consider suitable.

4. The car with its accessories shall remain the property of the State Government. When the Speaker or the Deputy Speaker relinquishes his office his car with its accessories shall be returned to the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha.

5. No car shall ordinarily be replaced unless it has completed five years of service or has run a total distance of 1,20,000kilometers in the case of a car above 20 horse power and 80,000 kilometers in the case of a car below 20 horse power :

Provided that a motor car which becomes unserviceable due to any reason before it has completed five years of service or run a total distance as prescribed above, may be replaced after following the procedure determined by the Government, from time to time, for replacement of Government Vehicles.

6. (1) Charges for the maintenance and upkeep of the car shall be borne by the State Government.

Note.-- Maintenance and upkeep of a car includes pay of chauffeur, registration, insurance fee including all taxes, all repairing charges including periodical servicing. etc. and replacement of worn out parts including tyres and tubes.

(2) At the commencement of each month, the Speaker and the Deputy Speaker shall forward a certificate to the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha a stating the total quantity of motor fuel purchased by him during the month immediately preceding, for use for the journeys permitted under section 5 of the Act.

7. The Madhya Pradesh Speaker and Deputy Speaker (Purchase and Maintenance of conveyance) Rules, 1957 are hereby repealed.

Provided that anything done or any action taken under the rules so repealed shall, unless such think done or action taken is inconsistent with any of the provisions of these rules be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

[Published inPart IV of the "Madhya Pradesh Rajpatra", dated the 12th February 1965.]

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
LAW DEPARTMENT

Bhopal, the 3rd February 1965

No. 4289-XXI-A (Vett.)--In exercise of the powers conferred by section 9 read with section 3 of the Madhya Pradesh Speaker and Deputy Speaker (Salaries and Allowances) Act, 1956 (III of 1957), the State Government hereby makes the following rules namely :--

RULES

1. Short title and commencement.--(1) These rules may be called the Pradesh Speaker and Deputy Speaker (Residences) Rules, 1965.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definition -- In these rules, unless the context otherwise requires :--

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Speaker and Deputy Speaker (Salaries and Allowances) Act, 1956;

(b) "Executive Engineer" means the Executive Engineer in-charge of the division in which a residence is situated;

(c) "Residence" menas a residence provided to a Speaker under section 3 of the Act;

(d) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(e) "Speaker" means the Speaker of the Madhya Pradesh Legislative Assembly and includes the Deputy Speaker.

3. Scale of furniture.--(1) Every residence shall be initially furnished with furniture and other articles as per scale given in

Schedule I and the total expenditure on this account shall not exceed rupees twenty thousand in the case of a residence allotted to a Speaker and rupees sixteen thousand in the case of a residence allotted to a Deputy Speaker.

NOTE.-- The maximum monetary limit specified above for furnishing the residence shall only be applicable to cases where furnishing is necessary in future. An existing residence already furnished shall continue to be so, till the Government in the Home Department on the advice of the Public Works Department decides that its refurnishing is necessary. When any item of furniture or any other article is worn out or damaged due to normal wear and tear, replacement may be made by an article of similar type.

(2) Whenever, a deviation from the scale, given in Schedule I, is necessary to suit a particular residence and/or to meet the wishes of the Speaker, such deviation shall be permitted by the Government in the Home Department provided that the maximum monetary limit specified in sub-rule (1) is not exceed in any case.

(3) For every article of furniture supplied to a residence to meet an emergent need for a short period, in excess of the scale specified in Schedule I, a rent for the period of use at the rate of 1 per cent p.m. of the value of the article shall be charged.

4. Renewal and replacement of furniture.-- (1) Renewal or replacement of any article supplied to the residence of the Speaker under Rule 3 may be made when Government in the Public Works Department is satisfied, that a particular piece of furniture, or any other article, has become unserviceable, due to damage or normal wear and tear.

(2) If any piece of furniture or any other article supplied to the residence of a Speaker under rule 3, is damaged or lost (a) otherwise than by reason of normal wear and tear, or (b) by reason of avoidable curcumstances, the loss to Government, as may be assessed, shall be made good by the Speaker himself. The authority to decide whether a particular article has been damaged or not (a) otherwise than by reason or normal wear and tear or (b) by reason of avoidable circumstances, will be the Public Works Department in such cases,

5. Physical verfication of furniture, etc. -- (1) The articles supplied to the residence shall be physically verified by the Executive Engineer at least once in a year.

(2) When the Speaker vacates the residence provicded to him, the Executive Engineer shall physically verify the articles supplied to the residence under rules 3 and 4.

6. Maintenance.--(1) Additions, alterations or modifications of such nature, as will not come within the purview of normal repairs shall not be permitted, except with the prior approval of the Home Department and Finance Department.

(2) The Public Works Department shall carry out necessary repairs to the residence, the annual expenditure on which shall not exceed the limits prescribed for Class I Government buildings for
this purpose.

(3) The Public Works Department shall also carry out necessary repairs, polishing and varnishing of the furniture and washing of carpets and screens; provided that the annual

expenditure on this account shall not exceed the monetary limit specified in Schedule II.

*"(3-a) Average monthely expenditure on maintenance of garden including water charges but excluding the pay of gardener provided under sub-rule [6] shall not exceed Rs. 300."

(4) (a) Separate meters shall be installed in such residence for ascertaining the monthly consumption of electricity and water--

(i) for domestic use of the Speaker;
(ii) for garden, office and security measures; and
(iii) in each of the staff quarters occupied by a Government servant.

(b) Monthly bills in respect of item (i) of clause (a) shall, in the first instance be paid by Government in full. Any amount in excess of rupees two hundred shall then be recovered from the Speaker or Deputy Speaker, and credited to Government account.

NOTE.-- This provision will apply with effect from the date of fixing of separate meters at the residences of the Speaker/Deputy Speaker.

---

*Inserted by Law Department Notification No. 11662-XXI-A (Vet), dated 16th April 1969.

(c) The bills in respect of item (ii) and (iii) of clause (a) shall be paid by Government in full except to the extent indicated in clause (d).

(d) Private Secretary to the Speaker and Class III Government servants occupying staff quarters shall bear fifty per cent of the electricity charges in respect of the electricity consumed by them in their respective quarters.

(5) The actual municipal taxes in respect of the residence shall be paid by Government.

(6) Government shall entertain one Chowkidar, one Farrash, one sweeper and one gardener for residence provided to the Speaker.

SCHEDULE 1

[See Rule 3 (i)]

List "A"

Standared list of furniture and furnishings for Speaker/Deputy Speaker bungalows

Description of articles of furniture,etc.	Speaker	Dy.Speaker
(1)	(2)	(3)
1. Almirah with mirror	1	1
2. Almirah without mirror	3	3
3. Almirah small	1	1
4. Bath Grating Wooden	4	3
5. Bath tub G. I.	4	3
6. Bed Coir charpay	4	4
7. Bed Niwar or spring wooden	8	6
8. Bed sheets	16	12
9. Bench garden	1	1
10. Book shelf (Case)	1	1
11. Bucket brass	2	2
12. Bucket G.I.	4	3
13. Carpet	for drawing, bed/and dining rooms.	
14. Chairs with arm	10	8
15. Chairs dining without arm	12	12
16. Chairs half easy	10	8
17. Chest of drawer (big size)	1	1
18. Clock	1	1
19. Covers for bed pillows	32	24
20. Curtains for doors	For doors in drawing, bed, dining and dressingrooms.	
21. Curtains for windows	For all rooms mentioned above.	
22. Desk writing (ladies)	1	1
23. Drums for provisions of different sizes	4	4
24. Drums small	4	3
25. English dinner service set with spoons, forks and knives	1	1
26. Flower vase	2	2
27. Galicha	For drawing room	
28. Gund brass with cover	2	2
29. Mattresses cotton	8	6
30. Milk safe	2	2
31. Mosquito attachments with nets	8	6
32. Mugs enamelled	4	3
33. Miscellaneous kitchen requirements	1 Set	1 set
34. Pillows bed	16	12
35. photo of National Leaders.	1 set	1 set

36.	Rugs for beds	4	3
37.	Side board	1	1
38.	Soap tray and soap cases	8	6
39.	Sofa set cane with cushions consisting of 2 single and 1 double sofa	1 set	1 set
40.	Sofa set spring as above	1 set	1 set
41.	Stools	2	2
42.	Stools ordinary	4	3
43.	Table centre and side tables	1 set	1 set
44.	Table cloth dining	4	4
45.	Table dining (extending)	(For 12 per.	(For 12 per.
46.	Table dressing with mirror	1	1
47.	Table ordinary (writing)	4	3
48.	Table spare	1	1
49.	Takha wooden with cotton gaddi and two round pillows (gaddi and pillows with two covers each)	1 set	1 set
50.	Teapoy	4	3
51.	Tea service set (of 6 persons)	2	2
52.	Towel bath (Turkish)	12	9
53.	Towel rack	4	3
54.	Towel coarse	8	8
55.	Wash basin	4	3

Electrical Appliances

(1)	(2)	(3)
1. Electric Heater	1	1
2. Electric Iron	1	1
3. Electric Kettle	1	1
4. Refrigerater	1 when demanded.	-
5. Radio (receiver set)	1	1
6. Table fans	3	2
7. Table lamps	3	2
8. Air Cooler	1	1

List "B"

Standared of furniture and furnishings for Speaker/Deputy Speaker's Office

S.No. (1)	Description of articles (2)	Speaker (3)	Dy.Speaker (4)
	Office and visitor's Room		
1.	Almirah	3	2
2.	Benches	2	2
3.	Carpets	1	1
4.	Cane chairs	4	4
5.	Chairs	4	4
6.	Chairs revolving	1	1
7.	Chairs for table	4	4
8.	Chairs half easy	2	2
9.	Chicks	For all doors and windows of Office rooms of Speaker/Dy. Speaker and his personal staff	
10.	Door mats	For all doors in Office rooms.	
11.	Durries	2	2
12.	Racks	3	3
13.	Table office for Speaker/Dy. Speaker	1	1
14.	Table writing for Private Secy./Personal Asstt.	1	1
15.	Table writing for staff	1	1
16.	Table typist	1	1
17.	Table Centre	1	1
18.	Table side	1	1
19.	Waste paper basket	4	4
20.	Air Cooler	1	1

List "G"

Miscellaneous Kitechen set

	Speaker/Dy. Speaker
1. Basinenamel	1
2. Electric Sigri	1
3. Electric Toaster	1
4. Gunj brass with cover	2
5. Gunj brass with handle	2
6. Grinding stone	1
7. Hot case	1
8. Indian style dinner service set stainless steel - Gunj with cover	4
Katories	36
Lotas	6
Spoons	24
Thalies	12
Tumblers drinking	12
9. Iron Sansi	1
10. Iron Sigri	1
11. Iron tongs	1
12. Iron Tawa	1
13. Jhara alluminium and brass	2(one of each)
14. Kettle brass	2
15. Ladle brass	5
16. Lotas brass	6
17. Milk can for 3 seers and 1 1/2 seers	1 each
18. Mortar and pestle iron	1
19. Mug brass	2
20. Parat brass	1
21. Peedas	24
22. Salt paper set	1
23. Tray brass	2
24. Tray wooden	2
25. Tiffin carrier	1
26. Water flask	1

SCHEDULE 11
[See rule 6 (3)]

	Speaker	Dy. Speaker
Cost of replacement repairs, warnishing and washing of furniture and furnishings.	Rs. 1,000 per annum	Rs. 800 per annum

[published in "Extraordinary Gazette" of Madhya Pradesh dated the 31st march, 1973.]

Bhopal, the 12th January 1973-Pausha 22, 1894

No. 347-8-I-(i).--In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 9 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) the State Government hereby makes the following rules for the Payment of travelling and daily allowances to Ministers, namely :-

RULES

1. These rules may be called the Madhya Pradesh Ministers (Travelling and daily Allowances) Rules, 1972.

2. Definition.--In these rules "Minister" means a member of the Council of Ministers and includes a Minister of State, A deputy Minister and a Parliamentary Secretary.

3. Under these rules, travelling allowances shall be admissible for such journeys as may be performed in the public interest only. The journeys must have been necessitated by duties which can not be preformed from the headquarters.

NOTE :--Performance of normal duties by a Minister at a place away from his headquarter to which he may proceed purely for personal reasons shall not be sufficient to entitle him to draw travelling allowance.

4. (i) A Minister when travelling on duty by the railway is entitled withaout payment to reserve by high official requistion a coupe in the first class compartment or in the air conditioned coach.

(ii) Take with him in the reserved accommodation one relative subject to the authorise capacity of the reserved accommodation; this concession is a admissible even if a Minister travels in a first class compartment.

(iii) Accommodation at the lowest class for one personal servant

and carriage of luggage up to 5 quintals whether carried in the luggage van of the train or sent by any other train.

Freight charges for goods or stores other than those mentioned in clause (iii) [of sub-rule (1)] shall be met by Minister himself.

When the journey is preformed under clause (i) of [sub-rule (1)], a Minister is entitled to incidental charges as admissible to "A" grade officers and the charges for reservation of accommodation shall be paid by Government ;

Provided that where a Minister travels by taking otherwise than on high official requisition a single berth in an ordinary first class compartment or in an air conditioned coach, he may draw the actual fare paid plus incidental charges as admissible to "A" grade Officers.

5. (1) A Minister when travelling on duty by road is entitled to --

(i) draw daily allowances at the rates specified in rule 7 when the journey is performed in the motor vehicles provided to him under section 6 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972. The running expenses of the car will be borne by Government;

(ii) recover the actual cost of conveyance by road or rail of one personal servant and personal luggage up to five quintals.

(2) When a Minister travels on duty by road within the territories administered by another State Government and the joureny is under taken in a hired conveyance he shall be entitled to draw travelling allowance at the rate of 32 paisa per Kilometer.

(3) If for any reason a Minister finds it necessary in the public interest to use a departmental car, he shall be entitled to draw the daily allowance at the rate specified in rule 7 and the running expenses of the car will be borne by the Government.

6. If in exceptional circumstances, a Minister finds it necessary to send his car empty by rail or road from one place to another in the exigency of the public service, he shall be entitled to charge the actual expenditure incurred on sending the car by rail or the actual cost of propulsion of the car for the distance it is actually sent empty by road.

*7. Subject to the conditions laid down in supplementary rules 48 to 53 in Appendix V to Fundamental Rules Volume II, a Minister is entitled to draw daily allowance at the rate of**[Rs. 51 (Fifty one)] per diem, inside the State :

Provided that when on tour outside the State he shall be entitled to draw daily allowance at the rate of ***[Rs. 60 (Sixty)] per diem :

Provided further that when on tour outside the State or on deputation a broad, he is treated as a State Guest and provided free boarding and lodging at the expense of the Government of the State/Union or Country visited, the daily allowance drawn will be limited to one half of what is admissible to him at concerned place.

8. A Minister may exchange his daily allowance for mileage allowance when the conditions laid down in supplementary rule 55 in Appendix V to the Madhya Pradesh Fundamental Rules, Volume II are fulfilled.

9. A Minister shall be entitled to the concession of the drawal of half daily allowance admissible under supplementary rule 55-A in Appendix V to the Madhya Pradesh Fundamental Rules, Volume II.

10. (1) A Minister when travelling by air is entitled to --

(i) the actual fare paid for the air journey save when such journey is performed under the credit voucher exchange order system applicable to commercial Airlines. In the latter case, the charges shall be paid by Government ;

(ii) The actual railwayfare by the lowest class of one personal servant with free carriage by rail, of personal luggage upto 224Kg., provided that a Minister who carries his personal effects by air, may, subject to the maximum of 224 Kg. recover actual expenses upto the limit of the amount which would have been admissible had he taken the same quantity by the surface route ;

(iii) for all connected journeys by road at either end on an air journey on single day not forming part of the air journey or included in the air fare, mileage allowance at the prescribed rate limited to daily allowance admissible under these rules.

(2) On the cancellation of journey by air due to official reason a Minister shall be entitled to be reimbursed by Government that net deduction made by the Air Transport Company on cancellation of the air passage.

(3) Incidental charges as adminssible to "A" grade officers.

11. If a Minister is allowed free transit by air in a Government machine or in a machine chartered by Government and has not to provide a separate conveyance at his own expense for his servants or luggage he may draw the daily allowance admissible to him and not exchange it for milage allowance. if, however, a part of the journey is made by other means of locomotion, he may at his option draw in lieu of the daily allowance the mileage allowance admissible for that part.

---

*Substituted by G. A. D. Notification No. 4348-3165-I(i), dated 2nd July 1976.

**Substituted by G. A. D. Notification No.1661-1470-(1)-81, dated the 4th July, 1981. for the words, figures and brackets "Rs. 31 (Thirty One)".

***Substituted by G. A. D. Notification No.1661-1470-I (i)-81, dated the 4th July, 1981. for the words, figures and brackets "Rs. 40 (Forty)"

12. (1) A Minister proceeding on duty outside India is entitled to draw the following :--

(i) Single fare for the journey from India to the place of visit and back ;

(ii) daily allowance at the rates admissible to officers of corresponding grades under the Government of India rules or actual expenses on boarding and lodging ;

(iii) actual expenditure on trips, gratuities and official enetrtainments where necessary ; and

(iv) incidental expense such as taxi-hire, bab-hire, etc. incurred on official duty.

(2) Claim for actual expenses on board and lodging under sub-clause (ii) for expenses under sub-clauses (iii) and (iv) above, shall be supported by a certificate recorded on each travelling allowance bill by the High Commissioner in the United Kingdom or by the Head of the Indian Mission in the country concerned, or by an officer authorised by the High Comissioner or the Head of the Mission in this behalf, or by the leader of the Delegation of which the Minister happens to be a member, to the effect that he has satisfied himself that the expenditure was actually incurred and was in the interest of public service which occasioned the journey and that the expenses are in accrodance which the prevailing rates.

13. An advance may be granted to a Minister when he is proceeding on a journey outside India. The advance may be granted at the discretion of the State Government upto an amount sufficient to cover his personal travelling expenses subject to adjustment on completion of his tour in such manner as the State government may in each individual case by order determine. An advance shall not be granted as matter of course but only on occasions when the cost of travelling is so heavy as to be a seriour burden on the Minister's private resources.

14. A Minister shall be entitled to travelling allowance for himself in accordance with these rules :

(i) in respect of the journey to Bhopal from his usual place of residence out of Bhopal for assuming office ; and

(ii) in respect of the journey from Bhopal to his usual place of residence out of Bhopal on relinquishing office.

On such occassions he shall also, in addition, be entitled to extra single fare of the class by which he is entitled to travel for each adult member of his family (as defined in Fundamental Rules) who accompanies him and for whom full fare of that class is actually paid and one half fare of each child for whom such fare is actually paid and transportation charges of his and his family's effects up to 48 quintals.

NOTE .-- The luggage charges admissible to a Minister under the above rule shall be regulated in accordance with the rates prescrited in S.R. 81-C(1) and the rotes there under in Appendix V to Fundamental Rules, Volume II, in case the luggage is transported by rail, and in S.R. 81-C (2) and the notes there under in case the luggage is transported by road.

15. In the event of dissolution of the Council of Ministers consequent on the death or remitting of office by the Chief Minister, a Minister who is away from Headquarter on tour on duty, shall be entitled, for return journey to the Headquarter to the same travelling and other allowances as admissible to him under these rules immediately before the dissolution of the Council of Minister.

16. The Madhya Pradesh Minister (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957 are hereby repealed :

Provided that anything done or any action under the rules so repealed shall, unless such thing done or action taken is inconsistent with any of the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

Shri B.J. Heerji, Special Sec.

Bhopal, the 6th September 1974.

No. 7961-4266-I(i).--In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 11 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (25 of 1972), the State Government hereby makes the following rules for regulating the purchase and maintenance of conveyances for Ministers, namely :-

RULES

1. These rules may be called the Madhya Pradesh Ministers (Purchase and Maintenance of Conveyances) Rules, 1974.

2. In these rules--

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (25 of 1972);

(b) "Minister" means a member of the Council of Ministers and also includes a Minister of State, Deputy Minister and a Parliamentary Secretary.

3. The State Government shall provide to each Minister a Motor Car for his use. *[...........] The Car shall be of such make and of such model as the State Government may, in each case, consider suitable.

4. The car with its accessories shall remain the property of the State Government. When a Minister relinquishes his office, his car with its accessories shall be returned to the State Government or to such officer as may be nominated by the State Government in this behalf.

5. No car shall ordinarily be replaced unless it has completed five years of service or has run a total distance of 1,20,000 kilo meters in the case of a car above 20 horse power and 80,000 Kilo meters in the case of car below 20 horse power;

Provided that a motor car which becomes unserviceable due to any reason before it has completed five years of service or run a total distance as prescribed above, may be replaced after following the procedure determined by the Government, from time to time, for replacement of Government vechicles.

6. (1) Charges for the maintenance and upkeep of the car shall be borne by the State Government.

Note.--Maintenance and upkeep of a car includes pay of chauffeur, registration, insurnace fee including all taxes, all repairing charges including periodical servicing etc., and replacement of worn out parts including tyres and tubes.

(2) At the commencement of each month each Minister shall forward a certificate to an Office specified by the State Government in this behalf state the total quantity of motor fuel purchased by him during the month immediately preceding, for use for the journies permitted under section-6 of the Act.

7. The Madhya Pradesh Ministers and Deputy Ministers (Purchase and Maintenance of Conveyances) Rules, 1957 are hereby repealed;

Provided that anything done or any action taken under the rules so repealed shall, unless such thing done or action taken is incosistent with any of the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

S.N. RAO, Spl. Secy.

*Omitted by Government of Madhya Pradesh General Administration Department Notification No. 1775/4774--1(i)79, dated 11th August, 1980.